प्रेस नोट

दिनांक-23.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर करावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 789/14 धारा 377 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व ¾ पाक्सो एक्ट में थाना गौरीगंज में अभियुक्त ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र विंध्यादीन नि0 धनी जलालपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 पाक्सो एक्ट सुल्तानपुर द्वारा दिनांक-22.11.2022 को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 03.11.2014 को समय 04.40 बजे तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के नाबालिक पुत्र के साथ अभियुक्त ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र विंध्यादीन नि0 धनी जलालपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा शौच जाते समय दुष्कर्म करने की इस सूचना पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 789/14 धारा 377 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री नवीन कुमार सिंह द्वारा विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-144 दिनांक 26.12.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।